डेयरी उद्योग : चुनौतियां, उपलब्धियां और अवसर

–गौरव कुमार

भारत जैसे देश के लिए जहां कृषि और पशुपालन की आवश्यक दशाएं मौजूद हैं वहां डेयरी उद्योग को विश्वस्तरीय बनाया जा सकता है। इसके अलावा एक बड़ी कार्यशील युवा आबादी के लिए यह रोजगार का बेहतर विकल्प भी साबित हो सकता है। इसके लिए जरूरी है एक बेहतर नीति और निगरानी तंत्र के साथ इसके विकास के प्रयास किए जाएं। वैसे सरकारी–स्तर पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए हैं तथापि उन योजनाओं और कार्यक्रमों की बेहतर निगरानी तथा क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना जरूरी है।

भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग कृषि और पशुपालन रहा है। या यह कहें कि अपनी सभ्यता के आरम्भ से ही मानव कृषि और पशुपालन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका प्रत्यक्ष लाभ तो मानव ने उठाया ही है, साथ ही इसका अप्रत्यक्ष लाभ सम्पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को भी मिला है। भारतीय जलवायु की यह खासियत रही है कि यहां हमेशा पशुपालन के लिए एक उचित और आवश्यक जलवायु की दशा बरकरार रही है। भारत की जलवायु पशुपालन को प्रोत्साहित और पोषित तो करती ही है, इसके साथ ही यहां की संस्कृति में यह न केवल आर्थिक महत्व रखता है बल्कि इसने सामाजिक–सांस्कृतिक–धार्मिक विश्वास का भी रूप ले रखा है। तकनीक तथा सामाजिक विकास के साथ–साथ इन क्रियाकलापों का व्यावसायिक रूप भी उभरा और आज यह एक बेहतर व्यवसाय का रूप ग्रहण कर चुका है। दुग्धक्रान्ति के जनक वर्गीश कुरियन के अथक प्रयासों ने इस नवीन उद्यम को एक नई दिशा प्रदान की। आधुनिक भारत के इतिहास पर नजर डाले तो एक रोजगारपरक गतिविधि के रूप में डेयरी उद्योग का विकास ब्रिटिशकाल में सेना की दूध, घी जैसी जरूरतों की पूर्ति की वजह से हुआ था। देश में पहला डेयरी फ़ार्म इलाहाबाद में वर्ष 1913 में स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् इस विषय को पहली पंचवर्षीय योजना में रखा गया जिससे इसका महत्व स्वयं सिद्ध होता है।

डेयरी उद्योग की चुनौतियां

आज देश में डेयरी उद्योग के लिए सभी तरह की अनुकूल स्थितियां मौजूद हैं। उचित जलवायु, तकनीक, मानव संसाधन के अलावा भारत में सर्वाधिक पशु धन भी हैं। विश्व में सबसे अधिक

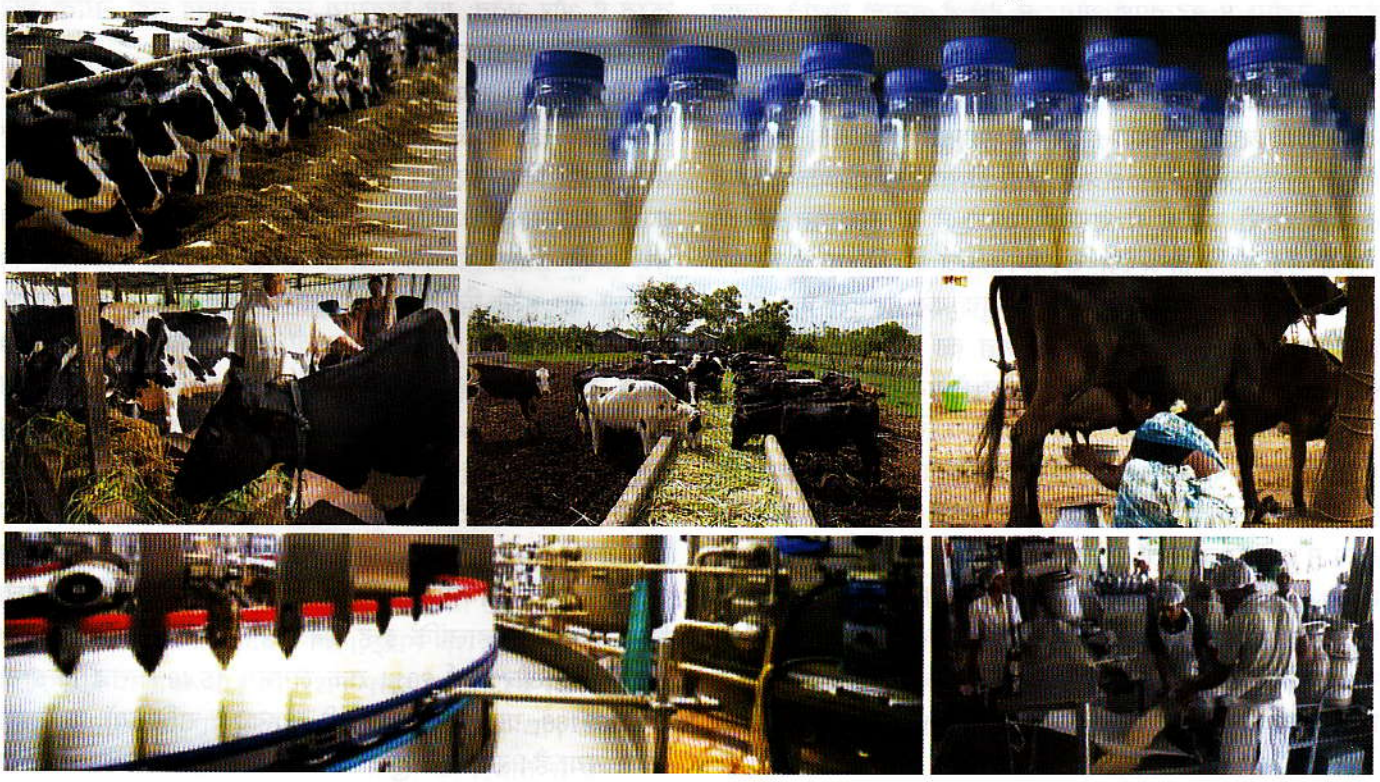

दुग्ध उत्पादन भारत में ही होता है। लगातार तमाम सरकारी, निजी और सहकारी प्रयासों के अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही इस दिशा में प्रयास किए जाने के बावजूद अभी भी यह क्षेत्र अपेक्षित सफलता अर्जित नहीं कर सका है। पशुपालन और डेयरी उद्योग के लिए कई चुनौतियां आज मौजूद हैं जिसका निवारण आवश्यक हो गया है। पशुपालन क्षेत्र में पशु स्वास्थ्य पोषण और पशु रोगों पर प्रभावकारी नियंत्रण, आहार और चारे की कमी आदि तमाम चुनौतियां भरी पड़ी हैं।

पशुचारा, पोषण और बीमारियां– देश में पशुओं के चारे और पोषण की समस्या के साथ उनमें होने वाले रोगों की रोकथाम की पर्याप्त व्यवस्था की गई है किंतु इस दिशा में अब भी हम पूर्णतः निदान प्राप्त नहीं कर पाए हैं। आज देश के कई हिस्सों में चारागाह की उपलब्धता काफी कम या नहीं के बराबर है। इसके पीछे का एक कारण यह भी है कि खेती का ध्यान चारा उत्पादन से नकदी फसल या खाद्यान्न फसल की तरफ अधिक है। भूमि की कमी के कारण चारागाह सिमटते गए हैं। देश में कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक़ भारत में उपलब्ध पशुचारा महज 52 प्रतिशत पशुओं की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। यह स्थिति विभिन्न राज्यों में अलग–अलग है। दूसरी तरफ काफी संख्या में पशु संक्रमित और अन्य खतरनाक रोगों से ग्रसित होते हैं और मर जाते हैं। संस्थागत तंत्र के अंतर्गत शामिल पशुओं की स्थिति तो कुछ हद तक बेहतर हैं, किन्तु वैसे क्षेत्र में जहां ग्रामीण व्यापक–स्तर पर मवेशी पालते हैं और डेयरी उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं उनकी स्थिति अत्यंत खराब है।

संस्थागत तंत्र से जुड़ाव का अभाव– आज डेयरी उद्योग की प्रगति व्यापक–स्तर पर महसूस की जाती है, किंतु देश के कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां किसान मवेशी पालन करते हैं और डेयरी उद्योग में सहयोग करते हैं वे संस्थागत तंत्र से विलग हैं। ये किसान ऐसे संस्थागत तंत्र से विलग हैं जिसके द्वारा वे अधिक लाभप्रद स्थिति में खुद को महसूस कर सकें। इसके अलावा उन्हें बाजार की कीमत का लाभ भी उचित रूप में नहीं मिल पाता। उनका इस उद्योग में पर्याप्त शोषण भी होता है। ऐसे गांव जहां की जलवायु और अन्य स्थिति पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन के लिए अनुकूल हैं तथापि वे इन संस्थागत–तंत्रों से अलग–थलग हैं। इन लोगों को अपने जीविकोपार्जन वाले काम में संस्थागत स्रोतों से ऋण प्राप्त करने में भी काफी दिक्कत आती है, अतः जरूरत इस बात की भी है कि इन्हें ऋण प्रवाह के संस्थागत स्रोतों से जोड़ा जाए। इन क्षेत्रों की यदि पहचान कर उन्हें पर्याप्त सुविधा और संसाधन मुहैया कराए जाएं तो इसका लाभ व्यापक स्तर पर मिल सकेगा। आज जरूरत है ऐसे क्षमता वाले क्षेत्रों का पर्याप्त रूप से दोहन किया जाए।

अनुसंधान और विकास– आधुनिक डेयरी उद्योग तमाम तकनीकी क्षमता पर निर्भर करता है। इसके लिए हमें अपने देश के अंदर मौजूदा स्थिति, जलवायु और अन्य कारकों के आधार पर तकनीकी विकास करने की जरूरत है। यद्यपि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल कर रहे हैं तथापि इस दिशा में हमारी तैयारी और भी बढ़ाने की जरूरत है। नित नई तकनीक के प्रयोग से इस क्षेत्र के विकास की और भी नई इबारत लिखी जा सकती है।

पशुपालकों का शोषण– देश में ऐसे तमाम किसान और पशुपालक हैं जो बाजार और डेयरी उद्योग को अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद उचित हक़ प्राप्त नहीं कर पाते। इस क्षेत्र की यह एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक चुनौती है। दूध की उपलब्धता का आधार यही किसान हैं जबकि इन्हें काफी कम कीमत पर अपना दूध व्यापारियों या निजी कंपनियों के हाथों बेचना पड़ता है। इसके अलावा इनका दूध भी काफी कम खरीदा जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक देशभर में किसानों और पशुपालकों द्वारा उत्पादित कुल दूध का मात्र 15 प्रतिशत दूध ही संगठित क्षेत्र की कंपनियों द्वारा प्रसंस्कृत किया जाता है। इसके अलावा इनके शोषण का एक रूप यह भी है कि सहकारी कम्पनियां जो दूध बाजार में उपभोक्ताओं को 25–26 रुपये की दर से बेचती हैं उन्हें वे किसानों से मात्र 13–14 रुपये की दर से खरीदती हैं। इस तरह से किसान लगातार ठगे हुए महसूस करते हैं और अंततः यह व्यवसाय उन्हें लाभप्रद नहीं लगता और इससे मुक्ति पाना चाहते हैं।

डेयरी क्षेत्र की उपलब्धियां

ऐसा नहीं है कि इन सभी चुनौतियों के निवारण के लिए प्रयास नहीं किए गए हैं। देश में पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि करने के अलावा डेयरी उद्योगों के विकास के लिए समय–समय पर काफी प्रयास भी किए जाते रहे हैं। इन सारे प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि दसवीं योजना के अंत तक दुग्ध उत्पादन 102,6 लाख टन से बढ़कर ग्यारहवीं योजना के अंत तक 127,9 लाख टन के स्तर तक पहुंच गया। देश में दुग्ध उत्पादन की विकास दर लगभग 3–4 प्रतिशत की दर पर है। इसी तरह से देश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता करीब 340 ग्राम प्रतिदिन है जो 294 ग्राम प्रति व्यक्ति के विश्व औसत से अधिक है। यह गौर करने लायक है कि आज भी देश में अधिकांश दूध का उत्पादन छोटे एवं सीमांत किसानों और भूमिहीन मजदूरों द्वारा किया जाता है। हालांकि इन्हें अब सहकारिता के अंतर्गत लाया जा रहा है, और मार्च 2014 तक लगभग 15.46 करोड़ किसानों को 162186 ग्राम–स्तरीय डेयरी सहकारी समितियों के तहत लाया गया है। सहकारी दुग्ध संघों ने पिछले वर्ष के 3350 लाख

किलोग्राम की तुलना में वर्ष 2013–14 के दौरान 3420 लाख किलोग्राम दूध प्रतिदिन के औसत से खरीदा है और 2.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। सहकारी क्षेत्रों द्वारा तरल दूध की बिक्री वर्ष 2013–14 के दौरान 2940 लाख लीटर प्रतिदिन पहुंच गई है जो पिछले वर्ष के मुकाबले 5.8 प्रतिशत अधिक है। आज भारत में दूध का राष्ट्रीय ग्रिड स्थापित हो चुका है जो करीब 800 शहरों और कस्बों तक ताजे दूध की आपूर्ति करता है।

भारत में दूध उत्पादन की वृद्धि को दर्शाती तालिका

वर्ष	दूध उत्पादन (लाख टन)	प्रतिव्यक्ति उपलब्धता (ग्राम/प्रतिदिन)
2001-02	844	225
2002-03	862	230
2003-04	881	231
2004-05	925	233
2005-06	971	241
2006-07	1026	251
2007-08	1079	260
2008-09	1122	266
2009-10	1164	273
2010-11	1218	281
2011-12	1279	290
2012-13	1324	299
2013-14	1377	307
2014-15	1465	322
2015-16	1555	340

इस दिशा में उठाए गए कदम

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग से सिद्धांततः पशुपालन क्षेत्र के लिए 7628 करोड़ रुपये, डेयरी क्षेत्र के लिए 4976 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। इसके अलावा कई वार्षिक और समय–समय पर जारी की गई योजनाओं और नीतियों के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास के लिए तमाम प्रयास किए गए हैं। कृषि मंत्रालय के अंतर्गत डेयरी विभाग द्वारा कई योजनाएं और कार्यक्रम इस क्षेत्र के विकास और इसके प्रोत्साहन के लिए चलाए जा रहे हैं। देश में दूध उत्पादन बढ़ाने की दिशा में संगठित रूप से पहला क्रांतिकारी प्रयास वर्ष 1970 से आरम्भ हुआ जिसे हम 'श्वेतक्रान्ति' के नाम से जानते हैं। इसे 'ऑपरेशन फ्लड प्रथम' का नाम दिया गया। इसमें देश के 10 राज्यों को शामिल किया गया था। ऑपरेशन फ्लड का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने योग्य गतिविधियों का विकास करना था। ऑपरेशन फ्लड भारतीय डेयरी उद्योग को जर्जरता की स्थिति से उबारकर सुदृढ़ स्थिति में पहुंचाने का पहला सुनियोजित प्रयास था। इसके अलावा गहन डेयरी विकास कार्यक्रम नामक योजना को गैर–ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों में 100 प्रतिशत अनुदान सहायता के आधार पर मार्च 1993–94 में आरम्भ किया गया था। मार्च 2005 में इसे संशोधित करके सघन डेयरी विकास कार्यक्रम नाम दिया गया। बाद में इस योजना को अन्य तीन योजनाओं के साथ फरवरी 2014 में राष्ट्रीय बोवाइन प्रजनन तथा डेयरी विकास कार्यक्रम में पुनर्गठित कर दिया गया। इस नवीन योजना के क्रियान्वयन के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1800 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम का उद्देश्य उपभोक्ता से किसान तक संपर्क स्थापित करते हुए गुणवत्तापूर्ण दूध के उत्पादन हेतु शीत श्रृंखला अवसंरचना सहित अवसंरचना का सृजन और सुदृढ़ीकरण करना है। साथ ही ग्राम–स्तर पर डेयरी सहकारी समितियों/उत्पादक कंपनियों को सुदृढ़ करना तथा संभावित रूप से व्यवहार्य दुग्ध परिसंघों एवं संघों के पुनर्वास में सहायता करना आदि है।

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पशुधन क्षेत्र में तेजी लाने के उद्देश्य से राज्यों को किसानों के लाभ के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार योजनाएं तैयार और लागू करने में अधिक लचीलापन प्रदान करके इस क्षेत्र का सतत विकास करने के मुख्य उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था। यह मिशन विभिन्न क्षेत्रों/राज्यों की कृषि जलवायु स्थितियों के अनुसार छोटे व अन्य गौण पशु प्रजाति के विकास के लिए भी सहायता देगा। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस मिशन के अधीन कार्यकलापों के लिए 2800 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। इसके साथ ही पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम को पशु रोगों जिनसे उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है, के प्रभावी नियंत्रण को ध्यान में रख कर तैयार किया गया। इसका विस्तार वर्ष 2014 में करते हुए कुल 313 जिलों में लागू किया गया।

प्रजनन और आहार के उन्नत प्रबंधन के जरिए दुग्ध उत्पादकों/किसानों की आय में वृद्धि करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए डेयरी सहकारिताओं के प्रयासों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 2011–12 से राष्ट्रीय डेयरी योजना (चरण–1) को शुरू किया। यह योजना 2242 करोड़ रुपये के कुल निवेश वाली योजना थी जिसे निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 14 प्रमुख डेयरी राज्यों में लागू किया गया।

- दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने में सहायता करना ताकि दूध की तेजी से बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए दूध के उत्पादन में वृद्धि की जा सके।
- संगठित दुग्ध प्रसंस्करण क्षेत्र तक ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों की और अधिक पहुंच बढ़ाने में सहायता करना।

देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए तथा डेयरी क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने व स्वरोजगार के अवसरों के माध्यम से गरीबी उपशमन के उद्देश्य से डेयरी उद्यमशीलता विकास योजना की शुरुआत सितम्बर 2010 में की गई। इस योजना का क्रियान्वयन नाबार्ड के माध्यम से किया जा रहा है जो सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत की 25 प्रतिशत तक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को परियोजना लागत के 33.33 प्रतिशत तक की बैंक एंडिड कैपिटल सब्सिडी के साथ बैंक ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दूसरी तरफ, योजनाओं को बढ़ावा देने तथा सहकारी पद्धति पर डेयरी तथा अन्य कृषि आधारित उद्योगों के लिए कार्यक्रम आयोजित करने व इनके क्रियान्वयन में मदद देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में की गई थी। यह एक सांविधिक निकाय है जिसका मुख्यालय आणंद (गुजरात) में है। 1987 में इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था तथा एक सांविधिक निकाय घोषित किया गया था।

डेयरी उद्योग : नवीन अवसरों का सृजन

खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों से जूझ रहे सम्पूर्ण विश्व के लिए डेयरी एक महत्वपूर्ण विकल्प है। भारत जैसे देश के लिए जहां कृषि और पशुपालन की आवश्यक दशा मौजूद है, वहां डेयरी उद्योग को विश्वस्तरीय बनाया जा सकता है। इसके अलावा, एक बड़ी कार्यशील युवा आबादी के लिए यह रोजगार का बेहतर विकल्प भी साबित हो सकता है। इसके लिए जरूरी है एक बेहतर नीति और निगरानी–तंत्र के साथ इसके विकास के प्रयास किए जाएं। वैसे सरकारी–स्तर पर कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए हैं तथापि उन योजनाओं और कार्यक्रमों की बेहतर निगरानी तथा क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। आज देश में किसान वैसे ही कृषिगत समस्याओं से जूझ रहे हैं। खेती और किसानों की समस्या के साथ यदि पशुपालन की समस्या भी आती है तो यह दो तरफ से नुकसान पहुंचाने वाला होगा। जब हम डेयरी क्षेत्र के विकास की बात करते हैं तो कहीं न कहीं इसमें किसान और पशुपालकों के विकास की बात भी निहित होती है। डेयरी क्षेत्र के साथ दो चीजें जुड़ी हुई हैं– पहली, संस्थागत तंत्र और दूसरा, असंस्थागत या असंगठित तंत्र। जहां भी सहकारिता का प्रभाव पहुंचा है उससे कुछ हद तक इस उद्योग को लाभ मिला है। लेकिन जो किसान इस तंत्र से वंचित हैं उन्हें इसके दायरे में लाने और उनकी क्षमता के दोहन की जरूरत है। दूसरी तरफ इसके अंतर्गत निहित खामियों, शोषण को दूर करना भी नितांत आवश्यक है। डेयरी क्षेत्र के अन्दर शामिल वे सारे किसान और पशुपालक आज कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। न उनके पास उचित तकनीक पहुंच पाई है ना चारा और पोषण सुरक्षा है। ऐसे में कल्याणकारी नीतियों को अमल में लाने की भी जरूरत है।

डेयरी उद्योग के विकास के साथ हम इस क्षेत्र में दुग्ध उत्पादों के बड़े निर्यातक के रूप में उभर सकते हैं। इसके लिए इसमें सबसे पहले निरंतर परिस्थितिजन्य अनुसंधान और विकास की बात की जानी चाहिए। आधुनिक और उन्नत किस्म की नस्लों और साथ ही डेयरी की स्थापना पर काम किया जाना चाहिए। देश में चारागाह की अनुपलब्धता के मद्देनजर आज चारा बैंक की अवधारणा प्रबल होती जा रही है। इसके लिए पर्याप्त संरचना बनाने की जरूरत है, जिसका लाभ सभी पशुपालकों को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, पशुधन के बीमा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी लाभ योजना किसानों को सहज और सरल रूप में उपलब्ध कराने की जरूरत है। इस प्रकार इन उपायों से हमारे देश के डेयरी उद्योग की विकास गाथा में और भी नए आयाम जुड़ेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए डेयरी उद्योग का भविष्य काफ़ी सुनहरा है। आज नवीन तकनीक का उपयोग कर हम इसके वितरण तंत्र को भी मजबूत बना सकते हैं। चूंकि दुग्ध उत्पाद शीघ्र खराब होने वाले भी होते हैं किन्तु आज नई तकनीकों का इस्तेमाल कर इन उत्पादों को हफ़्तों या महीनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए हमें नए आविष्कारों को बढ़ावा देने की जरूरत है। साथ ही, उपलब्ध तकनीकों का व्यापक प्रयोग भी सुनिश्चित करना होगा।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं।)
ई–मेल: gamavlamarsssl@gmail.com